निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 02 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, उत्तराखंड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, उत्तराखंड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री राजेश कुमार सिन्हा एवं श्री संजीव कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों एवं श्री आलोक कुमार लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 27/04/2018 से 11/05/2018 तक श्री अनिल कुमार जैन, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री आर.एन.यादव, श्री डी.के. मट्टू एवं श्री राजेश डोभाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 28/04/2017 से 09/05/2017 तक श्री नीरज चुंगू, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 08/2015 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(2) (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: सम्पूर्ण उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत लो॰नि॰वि॰ से संबन्धित समस्त प्रशासनिक, निर्माण कार्यो की गुणवत्ता नियंत्रण, खंडो को बजट आवंटन तथा अनुश्रवण सम्बन्धी कार्य।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) ₹	बचत (-) ₹
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय लाख	आवंटन	व्यय		
2015-16	--	-	3112.50	2898.34	-	-	-----	-
2016-17	--	-	5104.50	3303.80	-	-		-
2017-18	-	-	4284.90	4179.66	-	-		-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
		शून्य			

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखंड शासन द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई A श्रेणी की है ।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखंड शासन

प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष उत्तराखंड, लो॰नि॰वि॰

मुख्य अभियंता, लो॰नि॰वि॰ ,स्तर-1

क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लो॰नि॰वि॰

अधिक्षण अभियंता, (वृत्त स्तर)

अधिशासी अभियंता, लो॰नि॰वि॰ (खंडीय स्तर)

(v) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय **प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, उत्तराखंड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रमुख अभियन्ता एवं**

विभागाध्यक्ष, उत्तराखंड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 08/2017 को विस्तृत जाँच हेतु चयनित किया गया।

(vi) 08/2017 का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन मासिक व्यय के आधार पर किया गया।

(V) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2 (अ)

प्रस्तरः 1- 0.80 करोड़ के अधिरोपित अर्थ-दंड (पेनाल्टी) का वसूली नहीं किया जाना है।

देहरादून नगर के अंतर्गत बल्लूपुर, बल्लीवाला एवं जोगीवाला फ्लाईओवर तथा भंडारीबाग रेलवे अंडर ब्रिज (RUB) का निर्माण किए जाने हेतु इंजीनियर प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआईपल) को आवद्ध किए जाने विषयक शासन के पत्रांक 144/III (3)/13-04 (एन.एच.)/2012/दिनांक 27 फरवरी 2013 के क्रम में विशेष योजना सहायता के अंतर्गत उपरोक्त चार स्थानों पर फ्लाईओवर के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन एवं इंजीनियर प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड के मध्य 29 मार्च 2013 को समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding –MOU) संपादित किया गया था। एमओयू के अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं कार्य समापन की तिथि क्रमशः 16 जुलाई 2013 एवं 15 अक्टूबर 2014 थी जिसे पुनर्निर्धारित कर क्रमशः 14 दिसम्बर 2014 एवं 13 दिसम्बर 2015 किया गया था। बल्लीवाला एवं बल्लूपुर फ्लाईओवर के प्रथम चरण के कार्य के लिए ₹ 14.44 करोड़ तथा ₹ 5.00 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमशः 14 फरवरी 2013 एवं 01 अगस्त 2013 को प्रदान की गयी थी जबकि द्वितीय चरण के कार्य के लिए ₹ 22.78 करोड़ तथा ₹ 26.89 करोड की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमशः 30 जुलाई 2013 तथा सितम्बर 2013 में प्रदान की गयी थी। इन दोनो फ्लाईओवर के द्वितीय चरण के कार्य के लिए ₹ 25.98 करोड़ तथा ₹ 27.00 करोड़ कार्यो की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमशः 26 नवम्बर 2013 एवं 11 सितम्बर 2013 को प्रदान की गयी थी। फ्लाइओवर की मूल स्वीकृति Detailed Project Report (DPR) तैयार करने के बाद 30 जुलाई 2013 को प्रदान की गयी थी। इसमें 6.6 प्रतिशत की दर से Centage Charge भी सम्मिलित है। स्वीकृत SOR से अधिक पर ठेका प्राप्त होने के बाद मूल स्वीकृति को 26 नवम्बर 2013 पुनरीक्षित किया गया था जिसके कारण लागत में ₹ 1545.64 लाख (12.18 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। MOU के अनुसार चारों कार्य एक साथ प्रारम्भ किए जाने थे लेकिन EPIL के द्वारा केवल दो कार्य यथा बल्लीवाला एवं बल्लूपुर पर ही कार्य प्रारम्भ किए गए थे जिसे बाद मे शासन के पत्र (दिनांक 23 दिसम्बर 2016) के द्वारा जोगीवाला फ्लाइओवर तथा भंडारीबाग रेवले अंडर ब्रिज (ROB) का निर्माण ईपीआईएल से नहीं कराये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया था और साथ ही MOU को भी निरस्त (23 दिसम्बर 2016) कर दिया गया था। उपरोक्त शासनादेश में इंगित कार्य समापन की निर्धारित

तिथि 13 दिसम्बर 2015 थी जबकि मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सेतु उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून के अनुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ होने वास्तविक तिथि (14 दिसम्बर 2014) के सापेक्ष कार्य समापन की तिथि 13 मार्च 2015 निर्धारित की गयी थी। विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचना के अनुसार बल्लीवाला एवं बल्लुपुर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य 30.06.2016 एवं 08.12.2016 को पूर्ण कर लिया गया था और इन फ्लाइओवरों पर क्रमशः ₹ 33.99 करोड़ एवं ₹ 25.54 करोड यथा कुल ₹ 59.54 करोड की राशि वर्तमान तक व्यय हो चुकी है। ईपीआईएल से निर्गत अंतिम उपयोगिता प्रमाण-पत्र (30 जून 2017) के अनुसार ₹ 50.90 करोड़ की राशि मात्र का उपयोग किया जा चुका था।

पुनः मुख्य अभियन्ता के पत्र (22 जुलाई 2017) से ज्ञात होता है कि फ्लाइओवर के निर्माण में पूर्णता प्राप्त होने में अत्यधिक देरी के कराण और ईपीआईएल के आग्रह पर सभी allied activities like construction of drain, footpath, services road and even the maintenance of service road during construction, का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया गया था और इस देरी/विलम्ब के कारण तीन चरण में ईपीआईएल पर ₹ 0.80 करोड़[1] का अर्थ दण्ड अधिरोपित किया गया था।

विभाग के द्वारा प्राप्ति एवं व्यय से संबंधित प्रस्तुत किए गए विवरण से ज्ञात होता है कि ₹ 12.09 करोड़ राशि की वसूली की जानी अपेक्षित थी जिसका मूल कारण EPIL के द्वारा इन दोनों फ्लाइओवर से संबधित सर्विस रोड के Riding Surface, प्रारम्भिक से अंतिम छोर तक Signage कार्य, Interlocking Tiles, Service duct, RCC cover, KC drain इत्यादि के कार्य का सम्पादन नहीं कराया गया था। पुनः यह भी उल्लेखनीय है कि पेनाल्टी से संबंधित राशि ₹ 80.00 लाख को सम्मिलित नहीं किया गया था जो कि EPIL के Bill No. 27 के statement से भी प्रदर्शित होता है। इसके साथ ही यह भी पाया गया था कि शासन के पत्र (23 दिसम्बर 2016) जिसके अनुसार कार्य समापन की निर्धारित तिथि 13.12.2015 थी (जबकि एमओयू के अनुसार यह तिथि 13 मार्च 2015 थी) एवं तदनानुसार एमओयू के शर्त के अनुसार प्राक्कलित राशि पर ₹ 5.66 करोड़ की राशि LD के रूप में कार्यदायी संस्था से वसूली की जानी चाहिए थी परन्तु यह

[1] Penalty of ₹ 0.10 crore, ₹ 0.20 crore and ₹ 0.50 crore were imposed vide letter No. 5106/113 (14)/RAMA-(UA)/15 dated 29th October 2015, 2473/113 (14)/RAMA-(UA)/16 dated 12th July 2016 and 4429/113 (14)/RAMA-(UA)/16 dated 2nd December 2016

भी नहीं किया गया था और लेखापरीक्षा के इस गणना पर विभाग द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है।

Name of flyover	Estimated cost in lakh	Schedule Date of completion	Actual date of completion	Delays in days	Rate of LD/day	Total LD in % DaysX0.10	Limited to	Amount of LD in lakh
Balliwala	2598.26	13.12.2015	30.06.2016	199	0.1	19.9	10%	259.826
Ballupur	3059.47	15.12.2015	30.11.2016	352	0.1	35.2	10%	305.947
								565.773

उपरोक्त को इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा शेष दो कार्य के संबंध में बताया गया कि जोगीवाला फ्लाईओवर पर कार्य भूमि और भवनों के अधिग्रहण न होने तथा भंडारीबाग आरयूबी का निर्माण रेलवे से सहमति नहीं मिलने के कारण प्रारम्भ नहीं हो सका था। एलडी वसूली के संबंध विभाग द्वारा बतलाया गया कि MOU के अनुसार संप्रेक्षा दल द्वारा की गयी गणना से विभाग सहमत है परन्तु विलम्ब के लिए कार्य स्थल पर यूटिलिटी शिफ्टिंग, भवन एवं भूमि का अधिग्रहण आदि कई कारण रहे है। इन सभी को मध्येनजर रखते हुए विभाग द्वारा इपीआईएल पर आवश्यक/औचित्यपूर्ण ₹ 0.80 करो एलडी अधिरोपित की गयी है। विभाग द्वारा ₹ 12.09 करोड़ की वसूलनीय राशि एवं ₹ 0.80 करोड की पेनाल्टी के संबंध में बतलाया गया कि ₹ 12.09 करोड़ में से किसी भी राशि की वसूली नहीं हो सकी जबकि पेनाल्टी की राशि ₹ 0.80 करोड़ की ईपीआईएल से वसूली कर ली जाएगी।

विभाग का उत्तर एलडी के परिपेक्ष्य में मान्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि दोनों फ्लाईओवर के निर्माण में देरी क्रमशः 471 एवं 620 दिन की थी जबकि लेखा परीक्षा की गणना 199 और 352 दिन की देरी के अनुसार 20 प्रतिशत एवं 35 प्रतिशत आती है परन्तु एलडी के राशि की गणना MOU के शर्त के अनुसार 10 प्रतिशत के आधार पर ही की गयी थी। विभाग द्वारा यह कहना कि पेनाल्टी की राशि (₹ 0.80 करोड़) की वसूली कर ली जाएगी लेखा परीक्षा अवलोकन की पुष्टि करता है। पुनः यह भी उल्लेखनीय है कि अन्तिम अर्थदण्ड दिसम्बर 2016 में अधिरोपित होने के 1 वर्ष 3 महीने के बाद न तो वसूली गयी और न ही इसकी वसूली को विभागध्यक्ष के पत्र दिनांक 01.09.2017 में सम्मिलित किया गया था जबकि शासन द्वारा लोक निर्माण विभाग के स्तर से सम्पादित MOU को दिनांक 23.12.2016 को निरस्त किया जा चुका था। अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 (अ)

प्रस्तर-2 : कार्यस्थल की उपयुक्तता (Suitability) एवं कार्य की व्यवहार्यता (Feasibility) की जांच किए बिना कार्य की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) के निर्माण पर ₹ 70.34 लाख का निरर्थक व्यय।

The Honourable High Court of Uttarakhand, Nanital vide its order dated 26 August 2013 directed the State of Uttarakhand through its Chief Secretary to ensure that henceforth no construction of permanent nature is permitted within 200 meter from the bank of any flowing river in the State.

उत्तराखण्ड शासन द्वारा जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशी मठ में गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब यात्रा मार्ग में अलकनन्दा नदी के किनारे गोविन्द घाट मे वाहनों की पार्किंग के लिए मल्टीलेवल कार पार्किंग एवं कुछ अन्य छोटे निर्माण कार्यों के लिए ₹ 1268.35 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी (30/09/2014) इस स्वीकृति में पार्किंग आर.सी.सी. स्ट्रक्चर की थी बाद में शासन द्वारा उक्त मल्टीलेवल कार पार्किंग को आर.सी.सी. स्ट्रक्चर के स्थान पर pre-engineered steel structure द्वारा एवं कुछ अन्य Items[2] of work के साथ डिजाइन करने के निर्देश दिये गये और इस कार्य का नाम मल्टीलेवल कार पार्किंग के स्थान पर Rescued Helipad cum Multi Purpose Shelter (RHMS) and its protection wall कर दिया गया (20/05/2015)।

शासन द्वारा Rescued Helipad cum Multi Purpose Shelter (RHMS) and its protection wall की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) बनवाने के लिए consultancy कार्य हेतु चयन के आधार पर अनुबंध गठित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी थी। (09/03/2016)।

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, देहरादून के अभिलेखों की जांच (05/2017) में पाया गया कि

---

[2] Helipad, Approach ramp, Rescue shelter etc.

- विभाग द्वारा माननीय हाईकोर्ट के निर्देशों (26/08/2013) के विरुद्ध उक्त निर्माण कार्य हेतु अलकनंदा नदी के किनारे से 20 मीटर की दूरी पर स्थल का चयन किया गया जो कि अनुपयुक्त एवं असुरक्षित तो था ही साथ ही माननीय हाईकोर्ट के उक्त निर्देशों की अवहेलना भी थी।
- विभाग द्वारा विभागीय भूगर्भवेता/ प्राइवेट भूगर्भवेता से कार्यस्थल की उपयुक्तता की जांच करवाये बिना एवं कार्य की व्यवहार्यता की जांच करवाये बिना ही उक्त निर्माण करने हेतु कार्य की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) बनवाने हेतु consultant[3] के साथ धनराशि ₹ 19.95 लाख का अनुबंध[4] गठित किया गया था (30/10/2014) जिसके सापेक्ष उसे ₹ 15.56 का भुगतान किया गया था। (30/10/2014)
- Consultant द्वारा उक्त कार्य की drawing and design का presentation किये जाने (20/05/2015) के दौरान शासन द्वारा उक्त मल्टी लेवल कार पार्किंग को RCC Structure के स्थान पर pre-engineered steel structure द्वारा एवं कुछ अन्य बड़े बदलाव (यथा helipad, approach ramp, rescue shelter etc.) के साथ डिजायन करने के निर्देश दिये गए और इस कार्य का नाम Rescued Helipad cum Multi Purpose Shelter (RHMS) & its protection wall कर दिया गया (20/05/2015) जिसकी लागत 80 करोड़ आकी गयी एवं स्वीकृति अलग से की जानी थी जो बाद में कार्यस्थल अनुपयुक्त पाये जाने के कारण शासन द्वारा नहीं की गयी। (12/03/2017)
- दिनांक 22/09/2015 को विभाग द्वारा विभागीय भूगर्भवेता को कार्यस्थल की उपयुक्तता की जांच करने हेतु आदेश दिया गया जिसके सापेक्ष विभागीय भूगर्भवेता द्वारा कार्यस्थल पर अपनी स्टडी रिपोर्ट में कार्यस्थल को उक्त निर्माण हेतु अनुपयुक्त ("site proposed for construction of multilevel parking cum Helipad at Govindghat was found geologically unsuitable for the construction") बताया (18/10/2015)
- विभागीय भूगर्भवेता द्वारा कार्यस्थल को उक्त कार्यनिर्माण हेतु अनुपयुक्त बताये जाने के बावजूद विभाग द्वारा शासन को उक्त कार्य (RHMS and its protection wall) की DPR बनवाने हेतु चयन अनुबंध गठित करने की अनुमति लेने हेतु पत्र लिखा गया (06/02/2016) जिसके सापेक्ष शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी थी (09/03/2016)।

---

[3] Sh P K Chamoli, Design Tech Structural Consultant, Dehradun

[4] 22/EE dated 30/10/2014 @ ₹ 199440.00

- विभाग द्वारा RHMS & its protection wall (प्रश्नगत कार्य की ड्राइंग एवं डिजाइन में परिवर्तन एवं कुछ मदें जोड़ने के बाद के कारण कार्य का परिवर्तित नाम) कार्य की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) बनवाने हेतु पुनः उसी Consultant के साथ धनराशि ₹ 91.60 लाख का चयन अनुबंध[5] गठित किया गया था (19/03/2016) जिसके सापेक्ष उसे ₹ 27.48 लाख का भुगतान किया गया था (19/03/2016) एवं ₹ 64.12 लाख उसका बकाया था।
- दिनांक 18/09/2015 को विभाग द्वारा Central Water and Power Research Station (CWPRS)[6] Khadakwasla, Pune अलकनन्दा नदी की discharge, scour depth, high flood level स्टडी[7] करने हेतु पत्र लिखा गया जिसके सापेक्ष CWPRS द्वारा (फरवरी 2016) मे की गयी प्रस्तावित कार्य स्थल की जांच के आधार पर प्रस्तावित स्थल को अलकनंदा नदीं के प्रवाह मार्ग में होना बताया तथा RHMS & its protection wall कार्य निर्माण हेतु अत्यधिक असुरक्षित ("the proposed location falls in the river course and highly unsafe") बताया (November 2016 & March 2017)। इस कार्य के लिए CWPRS को ₹ 26.90[8] लाख का भुगतान किया गया।
- Geological Survey of India, द्वारा भी अपने "Preliminary note on Reconnotitory Geological Assessment of Govindghat Gurdwara and Surroundings after flash flood in Alaknanda River 16th & 17th June 2013" में प्रस्तावित कार्य स्थल को असुरक्षित बताया और मत दिया कि "No further construction should be taken up in this geological highly vulnerable area"।
- विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर RHMS & its protection wall के निर्माण में आ रही उक्त सभी कठिनाईयों से शासन को अवगत कराया गया जिसके आधार पर शासन द्वारा इस कार्य को किसी अन्य स्थान पर करवाने हेतु नया संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया।

---

[5] 15/SE 07/2015-16 dated 19/03/2016 @ ₹ 91.60 lakh

[6] Ministry of Water Resources, river Dovelopment and Ganga Rejuvenation, Govt. of India

[7] Mathematical model studies for flood protection measures in river Alankanand at Govindghat, Distt. Chamoli

[8] ₹ 3.50 lakh Feb 2016 plus ₹ 14.60 lakh in March 2016 plus ₹ 8.80 lakh also in Feb 2016 = ₹ 26.90 lakh

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा न केवल माननीय हाईकोट के निर्देशों जो कि विभाग की जानकारी में थे, की अवहेलना की गयी वल्कि राज्य में वर्ष 2013 में आयी आपदा से हुए खराब अनुभव के बावजूद अलकनन्दा नदीं के किनारे 20 मीटर की दूरी पर कार्य स्थल का चयन किया गया जो गलत और अत्यधिक असुरक्षित था साथ ही इस प्रस्तावित कार्य स्थल की उपयुक्ता की जांच विभाग भूगर्भवेता/प्राइवेट भूगर्भवेता से करवाये बिना ही कार्य[9] के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) बनवायी गयी जिसके सापेक्ष consultant को ₹ 15.96 लाख का भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त, बाद में (अक्टूबर 2015) विभागीय भूगर्भवेता द्वारा प्रस्तावित कार्य स्थल को अनुपयुक्त बताये जाने के बाद भी पुनः उसी कार्य[10] स्थल पर उसी कार्य (कुछ बदलाव के साथ परिवर्तित नाम) की DPR बनवायी गयी और ₹ 27.48 लाख का भुगतान किया गया साथ ही विभाग को प्रस्तावित कार्य स्थल के अनुपयुक्त होने की जानकारी होने के बावजूद इसकी Mathematical Modal Study पर भी ₹ 26.90 लाख व्यय[11] किया गया।

इस प्रकार विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्यस्थल की उपयुक्ता (Suitability) एवं कार्य की व्यवहार्यता (Feasibility) की जांच कए बिना कार्य की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) का निर्माण करवाया गया जिसपर कुल व्यय[12] ₹ 70.34 लाख किया गया जो कि अंततः निरर्थक व्यय साबित हुआ साथ ही consultant को अनुबंध के सापेक्ष ₹ 64.12 लाख दिया जाना अभी बाकी था।

प्रस्तावित कार्य स्थल की उपयुक्तता एवं कार्य की Feasibility की जांच कराये बिना कार्य की DPR बनाये जाने का कारण पूछे जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि “DPR गठन करने से पूर्व की प्रस्तावित कार्य स्थल की Feasibility फरवरी 2016 में करवायी है जिसमें चयनित स्थल CWPRS द्वारा अनुपयुक्त बताया गया है ।

विभाग के उत्तर से स्पष्ट है कि विभाग ने कार्य स्थल की उपयुक्तता की जांच कार्य की DPR निर्माण करवाने के बाद की गयी थी जिससे कार्य स्थल अनुपयुक्त पाये जाने पर DPR निर्माण

---

[9] मल्टीलेवल कार पार्किंग निर्माण कार्य

[10] RHMS & its protection wall

[11] CWPRS को ₹ 26.90 का भुगतान किया गया

[12] ₹ 70.34lakh = ₹ 15.96lakh + ₹ 27.48 lakh + ₹26.90 lakh

पर किया गया व्यय निरर्थक हो गया इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा विभागीय भूगर्भवेता द्वारा 18/10/2015 को अपनी जांच रिपोर्ट में स्थल को अनुपयुक्त बताये जाने के बावजूद पुनः RHMS की DPR पर व्यय किया गया था।

प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तरः1- वर्ष 2014-15 से असंतोषजनक एवं सुधारात्मक श्रेणी के क्रमशः 28 एवं 1301 निर्माण कार्यो में कार्यवाही नहीं किया जाना।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून के कार्यालय के अभिलेखों के लेखापरीक्षा की नमूना जांच में पाया गया कि राज्य अन्तर्गत मोटर मार्गों/ सेतुओं के निर्माण में कार्य की गुणवत्ता परीक्षण के लिए प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 4807/III (2)/14/लो.नि.वि./2014 दिनांक 29/08/2014 के अनुसार मुख्य अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता को प्रतिमाह चार कार्य आवंटित किये जायेगें जिनकी एक माह में निर्धारित जांच के विन्दुओं के अनुसार गुणवत्ता जांच कर आख्या निदेशक क्वालिटी कंट्रोल एवं डिजाइन को उपलब्ध कराना था।

वर्ष 2017-18 में उपरोक्तानुसार 32 मुख्य अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता को कुल 1536 कार्य आवंटित किये जाने चाहिए थे परन्तु उक्त में शिथिलता प्रदान करते हुए 855 कार्य आवंटित किए गये।

वर्ष 2017-18 में कुल आवंटित कार्य 855 के सापेक्ष 672 कार्य की ही रिपोर्ट प्राप्त हुई इस प्रकार 21.40 प्रतिशत कम रिपोर्ट प्राप्त हुई, कारणों से अवगत करायें। जबकि लक्ष्य पहले ही 44 प्रतिशत कम निर्धारित किया गया था। गुणवत्ता जांच अधिकारी द्वारा निर्धारित जांच के विन्दुओं के विन्दुवार जांच रिपोर्ट तैयार की जानी थी। परन्तु उक्त प्राप्त 649 रिपोर्ट जांच विन्दुवार नहीं बनायी गयी थी। जो गुणवत्ता जांच के मानकों के विरूद्ध थी।

उक्त 649 रिपोर्ट में से 317 एवं 9 रिपोर्ट क्रमशः सुधारात्मक एवं असतोषकजनक से संबंधित थी जिसे संबंधित अधिकारी को रिपोर्ट होने के 15 दिन के अन्दर अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जानी थी परन्तु अनुपालन आख्या आतिथि तक प्राप्त नहीं हुई, न ही इस संबंध में अनुस्मारक जारी किया गया। उक्त 9 असंतोषजनक कार्य जिसकी कुल लागत ₹ 1600.24 लाख थी, के संबंध में की गयी कार्यवाही से अवगत करायें मसलन उक्त कार्य रिपोर्ट प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर ठीक नहीं कराया जाना न ही संबंधित अधिकारी पर जिम्मेदारी तय किया जाना, क्योंकि इस प्रकार जिस उद्देश्य हेतु मोटर मार्ग/सेतु निर्माण कार्य पर व्यय किया गया

उसकी पूर्ति नहीं हुई। साथ ही वर्ष 2017-18 में गुणवत्ता परीक्षण से संबंधित प्राप्त 12 जांच रिपोर्ट में, कार्य की जिनमें श्रेणी अंकित नहीं है।

आगे पाया गया कि वर्ष 2014-15 से वर्ष 2017-18 तक 1391, 83 एवं 52 क्रमशः सुधारात्मक, असंतोषजनक एवं कोई श्रेणी अंकित नहीं, से संबंधित थी जो 6 माह से ज्यादा से लेकर 3-4 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी कार्य आतिथि तक संतोषजनक में परिवर्तित नहीं हुआ, न ही संबंधित अधिकारियों पर कोई कार्यवाही की गयी एवं न ही संबंधित ठेकेदारों से अधूरे व असंतोषजनक किये गये कार्य के सापेक्ष कोई वसूली की गयी।

विभागीय उत्तर में बताया गया कि असंतोषजनक श्रेणी के 83 कार्यों में से 28 कार्यों में प्रभावी कार्यवाही किया जाना है शेष 55 कार्यों पर कार्यवाही की गयी तथा सुधारात्मक श्रेणी के 1391 कार्यों में से लगभग 90 कार्य संतोषजनक श्रेणी में परिवर्तित हुए है अवशेष 1301 कार्यों में कार्यवाही का प्रयास जारी है।

इस प्रकार वर्ष 2014-15 से असंतोषजनक एवं सुधारात्मक श्रेणी के क्रमशः 28 एवं 1301 निर्माण कार्यों में कार्यवाही नहीं किए जाने का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
43/2005-06	01	03	-
15/2008-09	-	-	01
31/2012-13	-	01	-
51/2015-16	-	01,02	-
23/ 2017-18	1	1,2,3,4	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			कोई लम्बित प्रस्तर निस्तारित नहीं हुआ था। विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि पत्रांक 440/18(1)सा.प्र./2017 दिनांक 09/05/2017 द्वारा उत्तरालेख महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किया गया है।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

- शून्य -

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, उत्तराखंड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2. **सतत् अनियमितताएः** शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	**नाम**	**अवधि**
(i)	श्री हेमंत कुमार उप्रेती	पिछली लेखापरीक्षा से 30 अप्रैल 2018
(ii)	श्री आर सी पुरोहित	01 मई 2018 से अबतक

4. **विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित वित्त नियंत्रक कार्यालय से संबंद्ध रहे।**

(i) श्री पी के जोशी विगत संप्रेक्षा से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, उत्तराखंड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक खण्ड-II